U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 40/2017

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

1. अली पुत्र नूरा
2. मोहम्मद पुत्र नूरा
3. हुसैन पुत्र नूरा के का0मु0–
   1. अनवर खॉ पुत्र
   2. शेरू खॉ पुत्र
   3. ताजू खॉ पुत्र
   4.मु0 सायरा बेवा

   जाति मुसलमान निवासी– कोरी ध्वेचा
   तहसील– बागोडा, जिला जालोर।

1. श्रीमती हलीमा पत्नी रहीम खॉ जाति मुसलमान निवासी– जसोल, बाडमेर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बागोडा जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 31.01.2017 न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर जो राजस्व अपील संख्या 06/2015 हलीमा बनाम सरकार वगैराह में पारित किया।

उपस्थितीः––

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

fu.k;

fnukd% 06-01-2020

1. अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धाारा 76 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर जो प्रथम राजस्व अपील संख्या 06/2015 अनवान हलीमा बनाम सरकार वगैराह में में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध दिनांक 6.3.2017 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम कोरी ध्वेचा के पुराने ख0सं0 538 रकबा 80 बीघा 8 बिस्वा अपीलार्थीगण के पूर्वज नूरा पुत्र सुल्तान की खातेदारी में दर्ज थी, उसके बाद वर्ष 1983 में नूरा के देहान्त उपरान्त उसके पुत्रों अली, मोहम्मद, हुसैन व रमजान के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 249 दर्ज होकर दिनांक 2.2.1983 को स्वीकृत हुआ। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 249 दिनांक

2.2.1983 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या एक हलीमा के द्वारा प्रथम अपील अधिनस्थ प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील स्वीकार करते हुए उक्त नामा0 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बागोडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि वे नूरा के वारिसान के सम्बन्ध में व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर साक्ष्य सबूत लिये जाकर नियमानुसार विधि सम्मत आदेश पारित करें। प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि ग्राम कोरी ध्वेचा के पुराने ख0सं0 538 रकबा 80 बीघा 8 बिस्वा अपीलार्थीगण के पूर्वज नूरा पुत्र सुल्तान की खातेदारी में दर्ज थी, उसके बाद वर्ष 1983 में नूरा के देहान्त उपरान्त उसके पुत्रों अली, मोहम्मद, हुसैन व रमजान के नाम फौतेदगी नामा0 संख्या 249 दर्ज होकर तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा स्व0 नूरा के वारिसान की जॉच मजमें आम में करवा दिनांक 2.2.1983 को स्वीकृत किया गया हैं। उक्त नामा0 स्वीकृति की जानकारी आरम्भ से ही रेस्पो0 संख्या एक को रही है उसके उपरान्त भी रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत होने के लगभग 37 वर्ष तक कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई और न ही ग्राम ध्वेचा के वर्ष 1982–83 में हुए द्वितीय भू माप की कार्यवाही के समय विरोध प्रकट किया। जबकि उक्त कार्यवाही में खातेदारान के मौके की कब्जे की हक अधिकार की जॉच करके खतौनी बन्दोबस्त व पर्चा लगान अपीलार्थीगण के पक्ष में जारी किया गया था, इस प्रकार की सभी कार्यवाहियों की जानकारी रेस्पो0 संख्या एक को आरम्भ से ही थी। प्रथम अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी म्याद बिन्दू में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाधीन नामा0 निरस्त कर दिया है जो उचित नहीं होने से निरस्त किया जावें।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने लगभग 37 वर्ष बाद लम्बी म्याद अवधि गुजर जाने के उपरान्त प्रस्तुत की गई जबकि

इतनी लम्बी अवधि के अनुसार हक–अधिकार के सम्बन्ध में धारा 63 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान भी समाप्त हो जाते है। वर्तमान रेस्पो0 संख्या एक हलीमा जो मृतक खातेदार नूरा की पुत्री होना दर्शाते हुए प्रथम अपील में गलत तथ्य अंकित किये गये है जबकि रेस्पो0 संख्या एक के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में अपना नाम शरीफा लिखवाया हुआ है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या एक एक संदेहास्पद व्यक्ति में आती है जिसका मृतक खातेदार की सम्पति में कोई लेना देना नहीं है।

6. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलाधीन नामा0 पारित होने के पश्चात नये भू माप की कार्यवाही होकर नयी खतोनी बन्दोबस्त व पर्चा लगान बाद जॉच के जारी किये गये है जिनको अपीलाधीन नामा0 कार्यवाही के जरिये चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जावे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2017 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0संख्या 249 दिनांक 2.2.1983 ग्राम ध्वेचा को यथावत बहाल रखा जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल होने से उचित है जो बहाल रखा जावें। अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वितीय अपील में म्याद के बिन्दू को पुनः तय नहीं करवा सकते है क्योंकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त म्याद अवधि को कन्डोन करने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक की प्रथम को गुणावगुण पर निर्णित किया है।

8. रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करते समय उसे कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही कोई नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त खसरान भूमि उनके पिता श्री नूरा की खातेदारी की होने से पैतृक भूमि है जिसमें उसके जन्म से ही खातेदारी अधिकार बनते हुए ऐसे में उसका नाम भी उनके पिता की मृत्यु उपरान्त खोले गये फौतेदगी नामा0 में उसका नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था। उप तहसीलदार बागोडा ने उनके पिता की मृत्यु उपरान्त उनके सभी वारिसन की जॉच करने के उपरान्त सभी वारिसान के नाम दर्ज करते हुए नामा0 स्वीकृत करना चाहिये था।

अपीलान्टस ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए अपीलाधीन नामा0 में अपने नाम दर्ज करवा लिये जिससे मुझ रेस्पो0 संख्या एक के हक समाप्त कर दिये गये। विद्वान जिला कलेक्टर जालोर ने रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर तथा उनके पिता की मृत्यु उपरान्त स्वीकृत किये फौतेदगी नामा0 में उसका नाम दर्ज नहीं होने के तथ्यों पर गौर करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि अनुकूल उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे तथा अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जावें।

9. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर, जालोर के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए उप तहसीलदार बागोडा के द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामा0 संख्या 249 दिनांक 2.2.1983 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार बागोडा को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देशित किया है कि प्रकरण में रेकर्ड का अवलोकन कर साक्ष्य सबूत लिये जाकर नियमानुसार विधि सम्तत आदेश पारित करे। वो विधि अनुकूल पारित किया गया है। क्योंकि उप तहसीलदार बागोडा के द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि के पूर्व खातेदार नूरा के देहान्त उपरान्त उनके सभी वारिसान की जॉच नहीं कर मृतक खातेदार के केवल पुत्रों का नाम ही फौतेदगी नामा0 में दर्ज किया है जबकि उनके एक पुत्री यानि रेस्पो0 संख्या एक भी वारिसान के रूप में जीवित है। ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रृटि नहीं की है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के प्रस्तुत अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है तथा जिला कलेक्टर जालोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर